आयुक्त/अध्यक्ष,

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 12-12-89 को सर्किट हाउस, देहरादून में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर लिया गया है, जो दाहिनी ओर आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

16.12

उपाध्यक्ष,
मदेविप्रा

Seen.

21.12

21.12.89

विकास प्राधिकरण की दिनांक 12-12-89
पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर
आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

16.12
उपाध्यक्ष,
मदेविप्रा

21.12.89

21.12

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
की बैठक दि० 12.12.89 की उपस्थिति

1. श्री एस एस. पांगती अध्यक्ष/आयुक्त
2. एन सि चन्दोला महा प्रबन्धक जि.उ.कें
3. एस. डी. भट्ट नगर प्रशासक दि० कॉन्ट० बोर्ड
4- एम डी प्रसाद उपनिदेशक आवकारी देहरादून
5 के. एल. साह सहायक निदेशक पर्यटन मसूरी 12/12
6 डी. एस. भण्डारी संयुक्त सचिव म.दे.वि. प्राधिकरण
7 एच० के० डी० शर्मा अधीक्षण अभियन्ता उ०प्र०रा० विद्युत परिषद
8 एच० एम० सिंह उपखण्ड अधिकारी " "
9. जोतसिंह अध्यक्ष, नगरपालिका मसूरी
10. नरेन्द्र कुमार अध्यक्ष, छावनी परिषद देहरादून
11 एन० एस० एस० रावत अपर जिलाधिकारी (प्र)
12. एस. आर० कुकरेती आर० एफ. सी गढ़वाल
13 हरबंस कपूर सदस्य विधान सभा
14 शीला नाथ सचदेवा नगर पालिका देहरादून
15. ज्वाला सिंह बहादुर पुनर्वास निदेशक टिहरी बांध परियोजना
16. Vice chairman MDDA
17
18 R S T... CF Yamuna

री-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-12-89 में सदस्यों/ धकारियों की उपस्थिति :-

श्री एस०एस०पांगती -- आयुक्त/अध्यक्ष
श्री इफ्तखारूद्दीन -- उपाध्यक्ष
श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी--- सदस्य
श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून---सदस्य
श्री एस०सी०चन्दोला, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून --- सदस्य

श्री के०एल०शाह, सहायक निदेशक, पर्यटन --- सदस्य

श्री आर०एस०थापा, वन संरक्षक, देहरादून --- प्रतिनिधि सदस्य

श्री एम०एन०एन०खान, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)--प्रतिनिधि सदस्य

श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, देहरादून ---- प्रतिनिधि सदस्य

---

आमंत्रित :-

श्री कुंवर फतेह बहादुर, पुर्नवास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी ।
श्री हरबंश कपूर, नगर विधायक, देहरादून ।
श्री नरेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, जिला परिषद्, देहरादून ।
श्री एम०आर०कुकरेती, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून ।
श्री एच०के०डी०शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद्, देहरादून ।

---

उपस्थिति :-

श्री चन्द्र सिंह, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
श्री डी०एस०मनराल, संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
श्री त्रिभुवन सिंह, वरिष्ठ नगर नियोजक, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
श्री एस०सी०जैन, अधिशासी अभियन्ता, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
श्री वी०एम०डनियाल, सहायक लेखाधिकारी, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।

----------

विषय क्रमांक-1 :-

बैठक के कोरम के सम्बन्ध में इलाहाबाद, बांदा व मथुरा विकास
प्राधिकरणों की बैठक विनियमावलियों सम्बन्धी शासकीय गजट विज्ञप्तियों
का अवलोकन किया गया जिसमें यह उल्लेख है कि कम से कम चार सदस्यों की
उपस्थिति बैठक में अवश्य होनी चाहिए । चूंकि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण
के सम्बन्ध में बैठक नियमावली की ऐसी कोई शासकीय गजट विज्ञप्ति अभी नहीं
हुई है, अत: उक्त वर्णित विकास प्राधिकरणों की नियमावली के आधार पर कोरम
पूरा देखते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ।

पिछली बैठक के निर्णयों के कार्यवृत्त व अनुपालन आख्या को पढ़ा
गया एवं निम्नलिखित टिप्पणियों सहित उनका अनुमोदन किया गया :-

1. विषय क्रमांक-4, के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि मसूरी में
आवासीय निर्माण हेतु निर्धारित विकास व्यय के सम्बन्ध में अगली बैठक में पुन:
प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए एवं इस सम्बन्ध में 19-7-89 की बैठक में निश्चित
की गयी विकास दरों को फिलहाल स्थगित रखा जाए । व्यवसायिक काटेजेज/
होटल तथा शॉपिंग काम्पलैक्स के लिए विकास शुल्क की जो दरें स्वीकृत की
गयी थी, वे यथावत् रहेंगी । जो आवासीय निर्माण के भवन मानचित्र विचाराधीन
है, उनमें पूर्व स्वीकृत दरों के अनुसार विकास व्यय लेते हुए मानचित्र इस शर्त सहित
स्वीकृत किये जायें कि प्राधिकरण द्वारा विकास व्यय के सम्बन्ध में जो भी अंतिम
निर्णय होगा, उसके अनुसार वे अतिरिक्त धनराशि भुगतान करेंगें ।

2. जिन मामलों में सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उ0प्र0, देहरादून व अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को संयुक्त
निरीक्षण करने हेतु कहा गया था, उन मामलों में वे 15 दिन के भीतर अपनी
आख्या उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा दें ।

(कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक)

विषय क्रमांक-2 :-

दिनांक 1-7-89 से 30-11-89 तक भवन मानचित्रों एवं वादों
के निस्तारण का विवरण :-

मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति पर संतोष प्रकट किया गया
और यह निर्देश दिये गये कि सीलिंग विभाग को अनापत्ति प्रमाणपत्र शीघ्र जारी/करने

क्रमश:---------2,

के बारे में उपाध्यक्ष अपने स्तर से संयुक्त निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, देहरादून से अनुरोध करलें । अनिस्तारित वादों में कमी लाने हेतु समुचित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये ।

।कार्यवाही सचिव।

विषय क्रमांक-3 :- टिहरी बाँध विस्थापितों को ग्राम बंजारावाला में आबंटित भूमि का भूउपयोग ग्रीन बैल्ट से आवासीय करने के सम्बन्ध में ।

------

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुनर्वास निदेशक, टिहरी बाँध परियोजना द्वारा प्रेषित 33.77 एकड़ भूमि के भूउपयोग को "कृषि" से "आवासीय" करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाये । चूंकि टिहरी के विस्थापितों को बंजारावाला में भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है और उनमें से कुछ लोगों ने प्राधिकरण में अपने भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये हुये हैं और यह देखते हुए कि बंजारावाला में इन विस्थापितों को पुनर्वास प्रदान करने का कार्य शासकीय नीति के तहत किया जा रहा है, अतः उक्त वर्णित भूउपयोग परिवर्तन के मामले में शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में इस योजना में भवन मानचित्रों को स्वीकृति प्रदान कर दी जाये । इसमें यह अवश्य देख लिया जाए कि जिन भूखण्ड पर भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं, वे पुनर्वास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना के द्वारा बनाये गये लेआउट प्लान के ही भूखण्ड हैं ।

।कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक।

विषय क्रमांक-4 :- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण अकेन्द्रियत सेवा नियमावली-1989

------

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण अकेन्द्रियत सेवा नियमावली-1989 पर अनुमोदन प्रदान किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि यह नियमावली अविलम्ब शासन को इस टिप्पणी सहित प्रेषित कर दी जाए कि अकेन्द्रीयित सेवा में सदस्यों को केन्द्रीयित सेवा में प्रोन्नति के बारे में भी समुचित निर्देश पारित किए जायें ।

।कार्यवाही सचिव।

क्रमशः--------3,

विषय क्रमांक-5 :- मसूरी में पार्किंग स्थलों की समस्या के परिपेक्ष्य में पार्किंग विलेजेज कान्सेप्ट पर आधारित प्रस्ताव ।

पार्किंग विलेजेज कान्सेप्ट की ड्राफ्ट रिपोर्ट का अवलोकन करके सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इसके आधार पर सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया जाए व स्थल चयन का कार्य सम्पादित कराकर विस्तृत प्रोजेक्ट बनाया जायें । फिलहाल इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर शासन से अनुदान का अनुरोध किया जाए । रोप-वे, के सम्बन्ध में मैं0 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल व मैं0 ऊषा ब्रेको से लिखित ऑफर मांग लिये जाये ।

(कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक)

विषय क्रमांक-6 :- देहरादून विकास क्षेत्र में पनपरही अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि दो-तीन मामलों में सर्वेक्षण करवाकर गुणदोष के आधार पर उसका परीक्षण करके सुविचारित प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि बिन्दाल नदी के किनारे व राजपुर में जो अनधिकृत अध्यासन की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई है, इस सम्बन्ध में नियमानुसार उन्हें हटाने की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाए ।

श्री दिगम्बर प्रसाद लखेड़ा के प्रार्थनापत्र दिनांक 18-7-89 के बारे में निर्णय लिया गया कि उन्होंने जिस भूमि का उल्लेख किया है, उसका सर्वेक्षण/ कराकर आख्या प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए ताकि भूउपयोग परिवर्तन के मामलें पर विचार किया जा सके ।

(कार्यवाही सहायक नगर नियोजक)

विषय क्रमांक-7 :- श्री एस0सी0घिल्डियाल, नगर नियोजक के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में ।

यह बताया गया कि श्री एस0सी0घिल्डियाल, नगर नियोजक का कोर्स पूरा होने में कुल डेढ़ माह का समय बचा है । अत: श्री घिल्डियाल का वेतन आहरित कर दिया जाये और इसके Reimbursement हेतु शासन से अनुरोध किया जाए ।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक-8 :- चकराता रोड के चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण की योजना के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव में उल्लिखित बिन्दु-1, के अनुसार प्रभात सिनेमा से कौलागढ़ रोड डाइवर्जन तक सड़क के दो लेन से चार लेन चौड़ा करने का कार्य तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जाए । घंटाघर से प्रभात सिनेमा तक मार्गाधिकार 18 मीटर चौड़ा करने के मामलें में वरिष्ठ नगर नियोजक, म0दे0वि0प्रा0, अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून के साथ स्थल निरीक्षण करके संभावनाओं का पता लगायें एवं ठोस प्रस्ताव बैठक के समक्ष प्रस्तुत करें ।

प्रस्ताव के बिन्दु-2 व 3 पर कार्यान्वयन हेतु तभी निर्णय लिया जायेगा ।

सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि घंटाघर के समीप स्थित आर0एफ0सी0 गोदाम की भूमि प्राधिकरण को प्राप्त हो जाये, इस बारे में उपाध्यक्ष अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करें । इस भूमि पर बहुमंजिलें व्यवसायिक काम्पलैक्स का निर्माण कराया जाए । आर0एफ0सी0 गोदाम हेतु ग्राम माजरा/सेवलाकंला में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0, आर0एफ0सी0 से वार्ता करके अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

[कार्यवाही उपाध्यक्ष/व0न0नि0/स0अभि0 [श्री शर्मा]]

विषय क्रमांक-9 :- मसूरी में पार्किंग स्थलों के विकास के सम्बन्ध में ।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मसूरी में मैसोनिक लॉज बस अड्डे पर व बेकरी हिल पर पार्किंग स्थलों के विकास का कार्य व गांधी चौक के विस्तार का कार्य तुरन्त प्रारम्भ किया जाए । सदस्यों को अवगत कराया गया कि रुड़की की एक संस्था से मसूरी की उक्त तीन पार्किंग स्थलों की योजना का नियोजन व स्ट्रक्चरल डिजाइन का कार्य कराया जा रहा है जिस पर सहमति प्रकट की गयी ।

मसूरी की झील योजना व लाइब्रेरी के समीप निर्मित दो मंजिलें पार्किंग के नीचे के फ्रेमों पर उपयोगी स्थान विकसित करने का कार्य भी रुड़की

क्रमशः:---------5,

की उसी संस्था से कराये जाने का निर्णय लिया गया व निर्देश दिये गये कि इन पांचों योजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्र प्राथमिकता पर कराया जाये ।

जो व्यक्ति अपनी भूमि पर केवल पार्किंग स्थलों का विकास करने के इच्छुक हों उनको भी अनुमति दे दी जाए ।

{कार्यवाही व0न0नि0/सहा0अभि0श्री रावत}

विषय क्रमांक-10 :- ग्राम कांवली, देहरादून में आरक्षित शासकीय/अर्द्धशासकीय भूमि का भूउपयोग आवासीय में परिवर्तन ।

यमुना वैली इंजीनियर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी {प्रशासन} ने बताया कि इस सोसाइटी के कार्यकलापों से सम्बन्धित कुछ मुद्दों के बारे में जांच के आदेश हुए है । अत: सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इनसे संबंधित मामलें को जांच पूरी होने तक स्थगित रखा जाए ।

ग्राम कांवली में शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित भूमि का भूउपयोग परिवर्तन आवासीय में करने के सम्बन्ध में शासन को प्रेषित प्रस्ताव में जिस 80 फीट चौड़े पहुंच मार्ग का प्रस्ताव दिखाया गया था, उस पहुंच मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्नगत स्थल कांवली रोड से लगा हुआ है । तदानुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ को सूचित कर दिया जाए ।

{कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक}

विषय क्रमांक-11 :- रिकार्ड रूम से निकाली जानेवाली पत्रावलियों पर शुल्क का निर्धारण ।

रिकार्ड रूम से निकाली जानेवाली पत्रावलियों पर रू0 25/-शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया । अपर जिलाधिकारी {प्रशासन} ने सन्-1985 तक की मानचित्र पत्रावलियों को कलैक्ट्रेट रिकार्ड रूम से

क्रमश:--------6,

प्राधिकरण में दिये जाने की पेशकश की जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि अभी स्थान की कमी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पायेगा । निर्देश दिये गये कि स्थान उपलब्ध होते ही वर्ष 1985 से पूर्व की मानचित्र पत्रावलियां कलैक्ट्रेट, रिकार्ड रूम से मंगाकर प्राधिकरण के रिकार्ड रूम में रखी जायें ।

(कार्यवाही सचिव)

विषय क्रमांक-12 :- प्राधिकरण बाजार (तिब्बती मार्केट) के द्वितीय तल पर रिक्त चार हॉल व एक दुकान तथा प्रथम तल पर रिक्त सात दुकानों को विभिन्न राजकीय विभागों व अन्य को मासिक किराये पर देने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण बाजार (तिब्बती मार्केट) में रिक्त दुकानों व हॉलों को शासन से स्वीकृत दरों पर शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों को किराये पर देने का प्रस्ताव इस टिप्पणी सहित स्वीकृत किया गया कि उनसे किरायेनामें का अनुबन्ध भी निष्पादित करा लिया जाये जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हों कि भविष्य में किराये के पुनरीक्षण का अधिकार प्राधिकरण को होगा । यदि उपाध्यक्ष के पास शासन द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों का कोई प्रस्ताव आता है तो उपाध्यक्ष अपने स्तर से इस प्रकार के मामलों में आबंटन का निर्णय ले सकेगें ।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांक-13 :- हडको से रू0 5-00 करोड़ का आपरेशनल ऋण लेने के संबंध में ।

हडको से 5-00 करोड़ रूपये का आपरेशनल ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव पर इस टिप्पणी सहित स्वीकृति प्रदान की गयी कि उपाध्यक्ष प्राधिकरण के वित्तीय हित में स्वयं यह सुनिश्चित करें कि धन का उपयोग उचित प्रकार से हो ।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता)

क्रमशः:----------7,

विषय क्रमांक- 14 :- प्राधिकरण कार्य हित में एक जिप्सी एवं स्टाफ कार और क्रय किये जाने का अनुमोदन ।

प्राधिकरण के कार्यों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण में एक जिप्सी व एक स्टाफ कार और क्रय करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया ।

।कार्यवाही संयुक्त सचिव।

विषय क्रमांक-15 :- प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के आवासीय भवन किराये की स्वीकृति ।

उपाध्यक्ष निवास हेतु रूपये 2,500/-का मासिक किराया देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया । यह भी निर्देश दिये गये कि सीलिंग से प्राप्त अतिरिक्त भूमि पर उपाध्यक्ष निवास सहित अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वाटर बनाने का कार्य भी एक निश्चित समय सारणी के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाये ।

।कार्यवाही संयुक्त सचिव।

विषय क्रमांक-16 :- देहरादून नगर के ट्रैफिक प्लान के सम्बन्ध में ।

देहरादून नगर के ट्रैफिक प्लान बनवाने के सम्बन्ध में जिन दो संस्थाओं के प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ को प्रेषित किये गये थे, उन पर अभी आख्या प्राप्त नहीं हुई है । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से इस बारे में शीघ्र आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मारक पत्र भेज दिया जाये । साथ ही अन्य नगरों के लिए बनाये गये ट्रैफिक प्लान का भी अध्ययन किया जाए तथा देहरादून के परिपेक्ष्य में इस प्रकार के प्लान की उपयोगिता पर पुर्नविचार कर लिया जाए ।

।कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक।

क्रमशः--------8,

विषय क्रमांक-17 :- मैं0 कर्मचन्द थापर एण्ड ब्रादर्स (कोल सेल्स) लि0 को कृषि क्षेत्र में मशीनरी व संयत्र रखने हेतु गोदाम बनाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में ।

मैं0 कर्मचन्द थापर एण्ड ब्रादर्स (कोल सेल्स) लि0 को कृषि क्षेत्र में मशीनरी व संयत्र रखने हेतु गोदाम बनाने की अस्थाई अनुमति देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया । सभी सदस्यों की यह राय थी कि इस प्रकार की अनुमति महायोजना के प्राविधानों के विरुद्ध होगी ।

(कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक)

विषय क्रमांक-18 :- मैं0 जे0यू0 बिल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्रा0लि0, द्वारा ग्राम-गढ़ी बल्लुपुर, चकराता रोड, देहरादून में प्रस्तावित शॉपिंग-कम-गेस्ट हाउस के निर्माण मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

मैं0 जे0यू0 बिल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्रा0लि0 के प्रस्तावित शॉपिंग-कम-गेस्ट हाउस के निर्माण मानचित्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक)

विषय क्रमांक-19 :- राजपुर रोड स्थित प्लाट सं0-57/19 पर शिवा पैलेस (व्यवसायिक दूकानों) के निर्माण के सम्बन्ध में ।

राजपुर रोड पर प्लाट सं0-57/19 पर शिवा पैलेस (व्यवसायिक दूकानों) के निर्माण मानचित्र के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने यह बताया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8-12-88 के पश्चात् किसी बैठक में यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा चुका है । तदानुसार निर्देश दिये गये कि इस बात को देख लिया जाए कि क्या प्राधिकरण की किसी पिछली बैठक में यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा चुका है । तदानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

(कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक)

क्रमशः---------9,

<u>विषय क्रमांक-20</u> :- वर्ष 1989-90 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 1990-91 का अनुमानित बजट ।

------

वर्ष 1989-90 के पुनरीक्षित बजट व वर्ष 1990-91 के अनुमानित बजट प्रस्तावों का अवलोकन किया गया जिनका सार निम्न प्रकार है :-

<u>1989-90 का पुनरीक्षित बजट</u> :-

कुल प्रस्तावित आय रूपये 515.44 लाख रूपये ।

कुल प्रस्तावित व्यय रूपये 504.27 लाख रूपये ।

<u>1990-91 का प्रस्तावित बजट</u> :-

कुल प्रस्तावित आय रूपये 2215.91 लाख रूपये ।

कुल प्रस्तावित व्यय रूपये 2067.50 लाख रूपये ।

उपरोक्तानुसार समस्त मदों पर विचारविमर्श हुआ एवं दोनों बजटों पर इस टिप्पणी सहित स्वीकृति प्रदान की गयी कि विज्ञापन की मद में वर्ष 1990-91 में रूपये 2-00 लाख का ही प्राविधान किया जाए एवं इस वर्ष के जो बिल्स पेडिंग है, उनमें केवल उनका भुगतान किया जाए जिन के टोकन जारी किये गये हों अथवा पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा धनराशि का उल्लेख करते हुए लिखित आदेश दिये गये हों । इस सम्बन्ध में बजट प्राविधानों का ध्यान रखते हुए ही भुगतान की कार्यवाही की जाए । बजट की प्रति शासन को भी प्रेषित की जाए ।

[कार्यवाही सं०सचिव/स०लेखाधिकारी]

<u>विषय क्रमांक-21</u> :- जिला देहरादून में ग्राम सेवलाखुर्द, माजरा स्थित 32-90 एकड़ भूमि ट्रांन्सपोर्ट नगर बसाये जाने हेतु अधिग्रहण के सम्बन्ध में ।

------

इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि शासन में लम्बित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु प्राधिकरण के किसी अधिकारी को लखनऊ भेजकर मामलें को Pursue करने को कहा जाए ।

[कार्यवाही संयुक्त सचिव]

क्रमशः-------10

विषय क्रमांक-22 :- देहरादून मसूरी में आवासीय योजनाओं हेतु आपसीवार्ता द्वारा भूमि क्रय किये जाने विषयक ।

देहरादून व मसूरी में प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु समुचित मात्रा में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दृष्टि से आपसीवार्ता द्वारा भूमि क्रय किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया । इच्छुक व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में नेगोसियेशन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है :-

1- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
2- सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, देहरादून ।
3- संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
4- वरिष्ठ नगर नियोजक, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
5- अधिशासी अभियन्ता, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।

उपरोक्त समिति की संस्तुति के आधार पर उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किये गये । क्रय की गयी भूमि एवं उस पर प्रस्तावित योजनाओं का विवरण नियमानुसार प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहेगा ।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांक-23 :- ग्राम अजबपुरकंला स्थित 0.97 एकड़ भूमि के अर्जन व उसमें प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों को निर्मित किये जाने के विषय में ।

ग्राम अजबपुरकंला स्थित 0.97 एकड़ भूमि का अर्जन करके उस पर प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वाटर के निर्माण कार्य पर स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि तीन मंजिला भवन का निर्माण किया जायेगा । स्टाफ क्वाटर के आबंटन संबंधी नियम भी बनाये जायें।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव/अधि0अभियंता)

245
813



विषय क्रमांक-24 :- जिला देहरादून में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत बस स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम माजरा, परगना केन्द्रीयदून, में 17.32 एकड़ भूमि का अर्जन ।

------

ग्राम माजरा में प्रस्तावित बस-स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्तावित 17-32 एकड़ भूमि को शीघ्र अर्जित किये जाने के बारे में समुचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये । सभी सदस्यों का यह मत था कि बस स्टैण्ड की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 17-32 एकड़ भूमि अधिक नहीं है । अनटाइड फण्ड से इस भूमि के अर्जन हेतु धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जाये ।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांक-25 :- विकास प्राधिकरण के लेखा नियम के सम्बन्ध में ।

लेखा नियम प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

(कार्यवाही सहायक लेखाधिकारी)

विषय क्रमांक-26 :- प्राधिकरण में पुलिस विभाग से कुछ स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर लेने के सम्बन्ध में ।

---------

पुलिस विभाग से एक सब-इन्सपेक्टर, एक हेड कान्सटेबिल, तीन कान्सटेबल व एक महिला हेड कान्सटेबल को फिलहाल एक वर्ष पर प्रतिनियुक्ति पर लेने के बारे में स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(कार्यवाही सचिव)

क्रमश:--------12,

246
247
313



विषय क्रमांक-27 :- प्राईवेट कालोनियों के भू-विन्यास क्षेत्रों को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

शासनादेश सं0-5641/11-5-89-914डी0ए0/89, दिनांक 10-11-89 एवं शासनादेश संख्या 4601/11-5-89-21जनरल/88, दिनांक 21-9-89 का अवलोकन किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो लेआउट प्लान 21-9-89 से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय में जमा हो गये थे, उन पर उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10-11-89 के अनुसार कार्यवाही किया जाना विधिक व व्यवहारिक रूप से उचित न होगा । अत: ऐसे लेआउट प्लान का निस्तारण तत्कालीन नियमों के अनुसार किया जाये ।

उपरोक्त वर्णित शासनादेशों की देहरादून के सन्दर्भ में अव्यवहारिकता के बारे में शासन को पत्र भी लिखा जाए ।

(कार्यवाही वरिष्ठ न0नि0/सा0नि0वि0)

विषय क्रमांक-28 :- विज्ञापन व्यय के सम्बन्ध में ।

इस वित्तीय वर्ष के ऐसे बिल्स जिनके टोकन जारी हुए है अथवा जिनके विषय में तत्कालीन उपाध्यक्ष के लिखित आदेश है, का ही भुगतान किया जाय ।

(कार्यवाही सहायक लेखाधिकारी)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विविध विषय :-

(1) प्राधिकरण की अजबपुरकंला योजना एवं डालनवाला आवासीय योजना में रिस्पना नदी के किनारे की धारों को पुस्ते के निर्माण से सुरक्षित बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । इस कार्य हेतु क्रमश: 19.18 लाख रुपये एवं 34.46 लाख रुपये के आगणन स्वीकृत किये गये एवं निर्देश दिये गये कि इन कार्यों हेतु बाढ

नियंत्रण कोष से अनुदान प्राप्त करने का प्रयास किया जाये ।

॥कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता॥

॥2॥ सहस्त्रधारा सौन्दर्यीकरण योजना हेतु अन्टाइड फन्ड से रू0 20-00लाख प्राप्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

॥कार्यवाही श्री एन0एस0रावत, स0अभि0॥

॥3॥ परगनाधिकारी, मसूरी, जो अंशकालिक रूप से प्राधिकरण के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर रहे है, को रूपये 250/- प्रतिमाह मानदेय देने का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

॥कार्यवाही सचिव॥

॥4॥ अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी ने हुसैनगंज, मसूरी में प्रस्तावित आवासीय योजना के शीघ्र पंजीकरण एवं कार्यान्वयन हेतु अनुरोध किया । सदस्यों को बताया गया कि इस योजना का नियोजन कार्य रूड़की विश्व विद्यालय से कराया जा रहा है । सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस योजना का पंजीकरण 26जनवरी, 1990 से प्रारम्भ किया जाये । यदि उक्त तिथि से पूर्व प्राधिकरण की बैठक न हो सके तो इस योजना के लेआउट प्लान पर बाद में स्वीकृति प्राप्त करली जाये । बैंक, हडको अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से इस योजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया जाए ।

॥कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक॥

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गई ।

12-12

॥इफ्तखारूद्दीन॥
उपाध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0,
देहरादून ।

2.4.90

॥एस0एस0पांगती॥,
आयुक्त/अध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0,
देहरादून ।